

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12657/2024

उमेश चंद्र पारीक पुत्र श्री घनश्याम पारीक, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम नीमरा, बाया जाजोद, जिला सीकर (राजस्थान)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), सीकर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. उपकोष अधिकारी, श्रीमाधोपुर, (कोष अधिकारी, सीकर के माध्यम से)।

-----प्रतिवादी

से जुड़े

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 256/2020

मधु बाला शर्मा पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी सेक्टर डी-117/4, आज़ाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख वित्त सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

-----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15238/2023

जुगल किशोर शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी भगवती नगर के पास, श्री कृष्ण वाटिका, निवारू, जयपुर (राज.)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, पशुपालन शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

4. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय पशु चिकित्सा इकाई जामडोली, जयपुर

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15258/2023

बनवारी लाल वर्मा पुत्र धन्ना राम, निवासी बसंत विहार कॉलोनी, नीम का थाना रोड, अजीतगढ़, सीकर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18415/2023

जय नारायण पुत्र स्व. मल्लू राम सियाग, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 45, एवरेस्ट विहार कॉलोनी, श्याम नगर, जयपुर 302039

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसका मुख्यालय चोमू हाउस, परिवहन मार्ग, सिविल लाइंस के पास, जयपुर, राजस्थान में है।
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसका मुख्यालय चोमू हाउस, परिवहन मार्ग, सिविल लाइंस के पास, जयपुर, राजस्थान में है।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7638/2024

श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी मकान संख्या 123/177, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान सरकार, लाल कोठी, जियापुर।

4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर ।
5. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, शास्त्री नगर, अजमेर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 9458/2024

ब्रिजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी अशोक विहार कॉलोनी, गुरुद्वारा, जिला धौलपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।
3. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, ज्योति नगर, जयपुर ।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10179/2024

मूल चंद मंगल पुत्र श्री भोला राम, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी 1/579 हाउसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर, राजस्थान- 322001 (पीपीओ संख्या 1054847 (आर) सेवानिवृत्त निरीक्षक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से ।
2. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11103/2024

1. हेम सिंह पुत्र नत्थी लाल, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 615, सूर्य नगर, सुदामा कुटी मंदिर के सामने, महेश नगर, जयपुर, राजस्थान।
2. रमेश चंद्र सारस्वत पुत्र लाला राम सारस्वत, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 17, शंकर कॉलोनी, गैटोर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।
3. डॉ. सुशील कुमार रावल पुत्र देवराज सिंह रावल, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 14, शिव कॉलोनी, जेपी फाटक, जयपुर, राजस्थान।
4. मदन लाल भील पुत्र भैरू लाल भील, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी मुख्य बाजार, भालता, जिला झालावाड़, राजस्थान.
5. सत्यनारायण मेहर पुत्र रामकल्याण, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, गणेश चौक, कच्ची बस्ती, फापूजी स्थान, खेडली फाटक, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान ।

6. नंद लाल पुत्र मोती लाल, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी अजय किराना स्टोर के सामने, 59, बालाकुंड, कोटा, राजस्थान ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
5. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
6. राजस्थान राज्य, सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. राजस्थान राज्य, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11564/2024

अखिला नंद दीक्षित पुत्र नेत्र पाल शर्मा, उम्र लगभग 60 साल, निवासी 531, प्रगति नगर, कोटड़ा, अजमेर, राजस्थान 305001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. गृह सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, आयुष मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर, अशोक मार्ग, सवेत्री चौराहा, अजमेर राजस्थान 305001।
5. पेंशनर्स निदेशक, पेंशनर्स एवं कल्याण विभाग निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11679/2024

1. प्रहलाद बलाई पुत्र श्री गोपी लाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी मोहल्ला ग्राम चंपाखुर, तहसील खानपुर, पो. सारोला कलां, जिला झालावाड़ (राज.)

- लेखराज मीना पुत्र श्री गजानन्द मीना, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी झालावाड़ रोड, फतवाड़ा चुराहा, श्रीराम कॉलोनी, खानपुर, झालावाड़ (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- जिला कलक्टर, (भू-अभिलेख), झालावाड़, जिला झालावाड़
- उपखण्ड अधिकारी, खानपुर, जिला झालावाड़
- तहसीलदार, (भू-अभिलेख), तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान
- संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11939/2024

रमेश चंद पालीवाल पुत्र श्री सुंदर लाल पालीवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी वन विभाग नर्सरी गेट के पास, किशोरनगर, जिला- राजसमंद (राज.) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडोल ग्राम मुंडोल, ब्लॉक राजसमंद (राज.) से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
- निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज.)।
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला राजसमंद (राज.)।
- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11951/2024

- भगवान सहाय सैनी पुत्र मंगल राम सैनी, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी ईदगाह कॉलोनी, पावर हाउस के पास, दौसा (ग्रामीण)। राजस्थान- 303303.
- नवल किशोर सैनी पुत्र राम सहाय सैनी, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी मारुति कॉलोनी दौसा, दौसा (ग्रामीण), दौसा, राजस्थान- 303303।
- रमेश कुमार जैन पुत्र मंगल चंद जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी जैन मोहल्ला, दौसा। दौसा खुर्द, राजस्थान-303303।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर। जयपुर- 302005।
2. सचिव राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर 302005।
3. सचिव पेंशन, जेवीवीएनएल, जन पथ, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर, जयपुर, राजस्थान- 302005।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12011/2024

श्रीमती वेद कौर ढाका पत्नी श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी 1 टा 7, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनू, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, इसके निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान के माध्यम से।
3. निदेशक, कोषागार एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12125/2024

मान सिंह काठात पुत्र श्री अजमल काठात, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी ढोलीघाटी, झाक, अजमेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला-बीकानेर, राजस्थान।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, जिला - बीकानेर, राजस्थान।
5. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक), क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-अजमेर।
7. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12297/2024

हरि चरण लाल गुप्ता पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी कॉलेज रोड, अद्वेश नगर, गंगापुर सिटी, दिनांक 30.6.2018 को सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग सवाई माधोपुर कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक अभियोजन, निदेशालय अभियोजन शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग सवाई माधोपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय बराटपुर, राजस्थान
6. कोषाधिकारी, गंगापुर सिटी।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12309/2024

भेरू लाल सुमन पुत्र श्री मन्ना लाल, उम्र लगभग 63 वर्ष साल, निवासी सुभाष कॉलोनी, खानपुर, झालावाड़ (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, जिला झालावाड़
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर राजस्थान 302015
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खानपुर, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12632/2024

बाबू खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद खान, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट जुनिया वाया केकड़ी जिला केकड़ी (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान लालगढ़ रोड, बीकानेर (राज.)

4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान ज्योति नगर, जयपुर (राज.)
5. उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, अजमेर क्षेत्र अजमेर, राजस्थान (राज.)
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक, अजमेर (राज.)
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, केकड़ी (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12650/2024

1. नरेंद्र कुमार सिंघल पुत्र श्री शीतल प्रसाद, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी अपार्टमेंट नंबर 1003, 10 वीं मंजिल, टावर 7 बी, सनसिटी प्रीकर्मा, सेक्टर 20, सेक्टर 20 टाउन, पंचकूला, हरियाणा- 134117
2. जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मनोहर लाल जैन, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी हनमान मन्दिर के पास, बृजलाल नगर, वीपीओ मालपुरा, तहसील मालपुरा, टोंक, राजस्थान ।
3. श्रीमती. निर्मला पारीक पत्नी श्री अनिल पारीक, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी निर्मल सी-282/5, खेड़ा खुट माताजी मंदिर के पीछे, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा राजस्थान।
4. मनोरमा अग्रवाल पत्नी श्री सुभाष चंद्र राजवंशी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 17-18, करणी प्लेस रोड, पांच्यावाला, भुवनेश्वरी वाटिका सी, जयपुर, पांच्यावाला, राजस्थान।
5. चंद्रप्रकाश सबनानी पुत्र श्री मूलचंद, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ए-08, मानसरोवर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान।
6. कैलाश चंद चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभु दयाल चौधरी, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 188, आटेड रोड, पार्श्वनाथ कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान
7. अब्दुल हमीद शेख पुत्र श्री मुबारिक हुसैन, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी शिखो की मस्जिद पुरानी धान मंडी के पास, भीलवाड़ा, राजस्थान
8. बसंत कुमार पारीक पुत्र श्री सोहन लाल पारीक, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ई-सेक्टर, मोती नगर, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान।
9. नर नारायण त्रिपाठी पुत्र श्री राधे श्याम तिरपाठी, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी हल्केरो का मोहल्ला, वार्ड नंबर 11, ग्राम पोस्ट अलीगढ, तहसील उनियारा, अलीगढ, टोंक, अलीगढ, राजस्थान।
10. मेघ सिंह चौहान पुत्र श्री शंकर सिंह, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 303/1, अप्सरा मेंशन, क्रिश्चियन गंज, अजमेर, राजस्थान ।
11. नंद लाल शर्मा पुत्र श्री आत्मा राम शर्मा, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 297/55, फ्रेंड्स कॉलोनी, दुर्गा मंदिर के पीछे, वैशाली नगर, अजमेर, पो रीजनल कॉलेज, जिला अजमेर, राजस्थान।
12. पूनम चंद वर्मा पुत्र श्री मुकंदी लाल वर्मा, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 517/1, शांति पुरा, क्रिश्चियन गंज पुलिस चौकी के पीछे, वीटीसी अजमेर, पोस्ट अजमेर, राजस्थान।
13. रामावतार उपाध्याय पुत्र श्री हरि सहाय उपाध्याय, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी मकान नं. 25, श्याम कॉलोनी, अपोजिट. राम मंदिर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
14. भगवान स्वरूप बघेल पुत्र श्री देवीलाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 1133/44, कृष्णा कॉलोनी, यूआईटी कॉलोनी के पास, ढोला भाटा, अजमेर, राजस्थान

15. सत्य नारायण बैरवा पुत्र श्री गोपाल लाल बैरवा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 1069/44, गली नंबर-9, अजयपाल नगर, ढोला भाटा, अजमेर, राजस्थान।
16. श्योजी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी नरसिंह मंदिर के पास, वीपीओ टोरडी, तहसील मालपुरा, टोंक, राजस्थान।
17. बद्री नारायण शर्मा पुत्र श्री राम किशन शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 4, खेड़ामुकन्दपुरा, चाकसू, जयपुर, राजस्थान।
18. भंवर लाल खटीक पुत्र श्री लाला राम खटीक, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी नरेना रोड, शिवाजी नगर, दूदू, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
5. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
8. सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर, राजस्थान।
10. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, गांधी नगर, टोंक रोड, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, टोंक, राजस्थान

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12668/2024

1. छोटू लाल कुम्हार पुत्र श्री रामधन कुम्हार, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी छोटा बास, सखून, जयपुर, राजस्थान।
2. देवी लाल माली पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी गणेश जी के मंदिर के पास, ग्राम साखून, जयपुर, राजस्थान।
3. श्रीमती. विमला श्रीमाली पत्नी श्री दिनेश चंद्र श्रीमाली, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 29-ई, आशीर्वाद नगर, यूनिवर्सिटी रोड, रूप सागर गिरवा के पास, उदयपुर, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, राजस्थान।
4. दारू लाल गमेती पुत्र श्री लच्छी राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 15, गांधी स्कूल के सामने, खेमपुरा, पोस्ट प्रताप नगर, गिरवा, उदयपुर, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, राजस्थान।
5. गजानंद कुमावत पुत्र श्री रामजी लाल कुमावत, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 2, फडा लिंक रोड नंदा नोहरे के पास, गिरवा, उदयपुर, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, राजस्थान।

6. घीसालाल जाट पुत्र श्री गोरधन जाट, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी जालूपुरा, साखून, जयपुर, राजस्थान।
7. पवन कुमार जैन पुत्र श्री बसंती लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 48, बसंत सर्वोदय कॉलोनी, सामने। जैन मंदिर, पुलिस लाइन, अजमेर, राजस्थान।
8. विजय कुमार कांजानी पुत्र श्री सुंदर लाल कांजानी, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 1-के-56, अजय नगर, अजमेर, राजस्थान।
9. कमला बसंदानी पुत्री श्री पिंजोमल बसंदानी, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी मकान नं. 1185/25, पिंजल हाउस, एस्साई मोहल्ला, अजमेर, राजस्थान।
10. दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामचन्द्र शास्त्री, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 2/447, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, सामने। बालाजी मंदिर, अजमेर, राजस्थान।
11. कैलाश चंद तंवर पुत्र तारा चंद तंवर, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी बी-70, एमडी कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान।
12. प्रेम चंद पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 122 एचबीयू मेन, साइनवर्ल्ड के पास, अजमेर, राजस्थान।
13. रमेश चंद पुत्र श्री राम कुमार, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 219, सीहमा (101) महेंद्रगढ़।
14. विष्णु चंद्र शर्मा पुत्र श्री छोट्टन लाल शर्मा, उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी बी-56, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।
15. लादू लाल शर्मा पुत्र श्री राम चन्द्र शर्मा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी बड़े मंदिर के पास, सदर बाजार, वार्ड नंबर 2, सरेरी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
16. रमेश्वर पाटीदार पुत्र श्री रतनलाल पाटीदार, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट विकास नगर, डूंगरपुर, राजस्थान।
17. पूरण मल योगी पुत्र श्री छीतर लाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर बी-28, देवली अरब रोड, विनायक विहार, कोटा, राजस्थान।
18. घनश्याम पोरवाल पुत्र श्री शंकर लाल पोरवाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 533/1 सुभाष नगर थाने के पीछे, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
19. अर्चना भटनागर पत्नी स्वर्गीय श्री संजय भटनागर, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 95, एफ-ब्लॉक, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर, गिरवा, उदयपुर, राजस्थान।
20. शशिलता आचार्य पत्नी श्री जयप्रकाश आचार्य, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 113/22, मेहता भवन, ममिया का चौक, धान मंडी, अजमेर, राजस्थान।
21. शिव नारायण पालीवाल पुत्र श्री राम नारायण पालीवाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों का खेरवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान।
22. लक्ष्मण प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बुद्धि राम शर्मा, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 19, 20, लक्ष्मी विहार, सुवाणा, भीलवाड़ा, राजस्थान।
23. घनश्याम मीना पुत्र श्री नारायण मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी मकान नं. 133/38, संगम विहार कॉलोनी जोस गंज, अजमेर, राजस्थान।
24. मुकेश कुमार पुत्र श्री नंद लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 64 सूर्य नगर, पटवार मंडल के पीछे, सवीना (ग्रामीण), उदयपुर, राजस्थान।

25. भाग चंद जैन पुत्र श्री मूल चंद जैन, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ए-3, छत्री योजना, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान।
26. अनिल कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चंद जैन, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 25, नव ग्रह कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, राजस्थान।
27. रमेश चंद यादव पुत्र श्री कन्हैयालाल, उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी 34/260, कॉन्वेंट स्कूल के पीछे, बैंड कुआ के पास, अलवर गेट, अजमेर, राजस्थान।
28. विजय सिंह यादव पुत्र श्री माता दीन यादव, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी छारदरा, जयपुर, राजस्थान। 29. कोमल कुमार वाया पुत्र श्री शांति लाल वाया, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 13/809, अरविंद नगर, सुंदरवास, उदयपुर, राजस्थान।
30. नारायण लाल वर्मा पुत्र श्री हीरा लाल जी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी सुन्दर कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद, राजस्थान।
31. मंजू व्यास पत्नी श्री अरविंद कुमार व्यास, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 445, महावीर मार्ग, सोलंकी टॉकीज रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।
32. दिलीप कुमार मेहता पुत्र श्री मोहन लाल मेहता, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 16, भदेसर की हवेली, जगदीश चौक के पास, गिरवा, उदयपुर, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, राजस्थान।
33. अशोक कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय श्री मुंशी लाल जैन, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 73/46, परमहंस मार्ग, सेक्टर-7, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
34. विपिन बिहारी शर्मा पुत्र श्री गोपी किशन शर्मा, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 3-सी, पटवारी जी की गली, जटिया हिल्स दाता नगर, अजमेर, राजस्थान।
35. कल्याण पुत्र श्री गोपी लाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी न्यू लोक सेवा आयोग, बंधिया जयपुर रोड, अजमेर, राजस्थान।
36. करण सिंह पुत्र श्री शिव सिंह भाटी, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी पीली खान, दातार वाली गली, अजमेर, राजस्थान।
37. महावीर चंद लोधा पुत्र श्री विक्रम सिंह लोधा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 4-सीएच-18, श्री रामविहार कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान।
38. मधु अरोड़ा पत्नी श्री राज कुमार अरोड़ा, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 45, कृष्णा नगर, उत्सव वाटिका के पीछे, मसूदा रोड, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।
39. राज कुमार मेनारिया पुत्र श्री नंदलाल मेनारिया, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 205, टेकरी नियर पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान।
40. आशा वर्मा पत्नी श्री धर्मवीर प्रसाद वर्मा, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी बी-80, एमडी कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान।
41. जगदीश नाथ पुत्र श्री रामनाथ नाथ, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी सदर बाजार, तहसील फुलिया कंलान, फुलिया कलां, फुलिया कलां, भीलवाड़ा, राजस्थान।
42. डॉ. श्याम सुंदर चंदावत पुत्र श्री चुन्नी लाल चंदावत, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी ए-55, तारागढ़ रोड, स्टेडियम के पास, चंद्रवरदाई नगर, अजमेर, राजस्थान।
43. महेंद्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस चंद जैन, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 1/450, पोस्ट ऑफिस के पास, भाट मोहल्ला मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान।
44. सुगन लाल पंचोली पुत्र श्री किशन लाल पंचोली, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 314/41, किशन भवन नसीराबाद रोड, बिहारी गंज, अजमेर, राजस्थान।

45. नौरत मल झालीवाल पुत्र श्री बिंजा लाल झालीवाल, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी मकान नं. 2768, वार्ड नंबर-5, छताई मोहल्ला, नसीराबाद, अजमेर, राजस्थान।
46. चेत सिंह जगरवाल पुत्र श्री मंगल राम, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 292/28, गली नंबर-11, तानाजी नगर, अजमेर, राजस्थान।
47. नीरज भार्गव पुत्री श्री रविशंकर भार्गव, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 175/11 रवि-आशीष, ध । बिल्डिंग हाथी भाटा, अजमेर, राजस्थान।
48. रजनी भार्गव पुत्री श्री रविशंकर भार्गव, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 175/11, ध । बिल्डिंग, हाथी भाटा, वीटीसी अजमेर, राजस्थान।
49. गंगा प्रितवानी पत्नी श्री अशोक कुमार केवलरमानी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ई-390, विद्युत मार्ग, शास्त्री नगर, अजमेर, राजस्थान।
50. भगवान सहाय यादव पुत्र श्री बालू राम यादव, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी वार्ड 19, भोमका की ढाणी, जयपुर रोड, तहसील चोमू, जयपुर, राजस्थान।
51. देवी सहाय यादव पुत्र श्री रामनाथ यादव, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी वार्ड 19, भोमका की ढाणी, चोमू, त्रिपोलिया चोमू, जयपुर, राजस्थान ।
52. गीता राघव पत्नी श्री राजेंद्र सिंह राठौड़, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 1/2-डी, रेल विहार-2, सेक्टर 9, बिध्या धर नगर, जयपुर, राजस्थान।
53. आरिफ बेग पुत्र मिर्जा अनवर बेग, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 69, पन्ना धाय मार्ग, इमलीघाट, उदयपुर, राजस्थान।
54. विनोद जैन पत्नी श्री राजीव जैन, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी क्रमांक-31, आचार्य विनोबा भावे नगर, जयपुर, वैशाली नगर, राजस्थान।
55. विजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्रीनिवास अग्रवाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 20, बसंत विहार, उत्तरी सुंदरवास राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, गिरवा, उदयपुर, शास्त्री सर्कल गिरवा, उदियापुर, राजस्थान ।
56. वृजराज जोशी पुत्र श्री बंशीधर शर्मा, वृद्ध
57. यशवन्त कुमार मोची पुत्र श्री बंशी लाल चौहडिया, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 3210, बंशी भवन, सरकारी स्कूल के पास, मेन रोड, सवीना, सवीना (रुरला), पो. उदयपुर एच मगरी, जिला उदयपुर, राजस्थान।
58. हुकम चंद बारिया पुत्र श्री उम्मेद मल बारिया, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 926, प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर, राजस्थान।
59. चन्द्र शेखर चौबीसा पुत्र श्री मुरली धर चौबीसा, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 9, न्यू शांति नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 3, चांदनी वाटिका के पीछे, उदयपुर, राजस्थान ।
60. मुरलीधर खाबरानी पुत्र श्री कोदुमल खाबरानी, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 52, हिल टॉप कॉलोनी, अजय नगर, भिनाय, अजमेर, राजस्थान ।
61. राधे श्याम विजय पुत्र श्री शिव प्रसाद, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी 1526 ई/02, दयानंद कॉलोनी, राम नगर, अजमेर, राजस्थान।
62. वेद प्रकाश बजाज पुत्र श्री खुशी राम बजाज, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी सी-536, पंचशील नगर, अजमेर, राजस्थान।
63. राधा पेसवानी पत्नी श्री कनायो विधानी, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 3-के-15, अजय नगर, दोराई, थाना अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान।

64. मुकेश कुमार झा पुत्र श्री आदित्य प्रसाद झा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान नं. 26/546, मंदिर वाली गली, रामगंज, अजमेर, राजस्थान।
65. अनामी नारायण माथुर पुत्र श्री कैलाश नायन माथुर, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी सी-234, पंचशील नगर, मकरवाली रोड, अजमेर, राजस्थान।
66. सुभाष चंद जैन पुत्र श्री मानक चंद जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी गली नंबर 7 ए, प्रेम नगर, फॉय सागर रोड, अजमेर, राजस्थान।
67. विलास भटोडकर पुत्र श्री राम चंद्र, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 1526, प्रगति नगर, कोटरा, आवासीय योजना, अजमेर, राजस्थान।
68. बजरंग सिंह शेखावत पुत्र श्री धन सिंह, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 1456-3, प्रताप नगर, लोहाखान, अजमेर, राजस्थान।
69. सावित्री मोतियानी पत्नी श्री किशन तिलोकानी, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 3, महादेव मार्ग, ईदगाह रोड, जीवन दीप कॉलोनी के पीछे, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान।
70. मनमोहन शर्मा पुत्र श्री विष्णु प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी ए-23, हरि भाऊ उपाध्याय नगर, ए-ब्लॉक, अजमेर, राजस्थान।
71. गुरदेव सिंह जसपाल पुत्र श्री जतेन्द्र सिंह जसपाल, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 54-55, हरि भाऊ उपाध्याय नगर, एक्सटेंशन कॉलोनी, पुस्कर रोड, अजमेर, राजस्थान।
72. मुरली चंदनानी पुत्र श्री घनश्याम दास, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 62, गुरु नानक कॉलोनी, ढोला भाटा रोड, अजमेर, राजस्थान।
73. दल्ला पुत्र श्री मंगू, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 238, रेतुल्या, ग्राम खाजापुरा, अजमेर, राजस्थान। 74. राम मंघनानी पुत्र श्री होतचंद मंघनानी, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 2/14, हाउसिंग बोर्ड, अजय नगर, अजमेर, राजस्थान।
75. कैलाश चंद्र गुर पुत्र स्वर्गीय श्री किमतराय गुर, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 304, मुखीजा टॉवर, पुराना प्रभात सिनेमा, बापू नगर, अजमेर, राजस्थान।
76. उम्मेद सिंह राठौर पुत्र श्री मोहन सिंह राठौर, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट नांद, भिनाय, जिला अजमेर, राजस्थान।
77. मोहन सिंह कोठारी पुत्र श्री उग्र सिंह, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी होटल पारस महल के पीछे, 152 माछला मगरा स्कीम, हिरण मगरी, सेक्टर 11, उदयपुर, राजस्थान।
78. लाल चंद गादिया पुत्र स्वर्गीय श्री मांगी लाल गादिया, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 47, शांति निकेतन कॉलोनी, बेदला बड़गांव लिंक रोड, बड़गांव, बड़गांव (ग्रामीण), उदयपुर, राजस्थान।
79. अशेंदु जोशी पुत्र श्री श्रीवत्स जोशी, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी उत्कर्ष स्ट्रीट नंबर 4, नरसिंह पुरा राम नगर फॉय सागर रोड, अजमेर, भिनाय, अजमेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
12. आयुक्त, बिक्री कर विभाग, जयपुर, राजस्थान।
13. निदेशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), विभाग, अरण्य भवन, जयपुर, राजस्थान।
16. मुख्य वन संरक्षक, विभाग, अरावली भवन, जयपुर जोन, जयपुर, राजस्थान।
17. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
18. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
19. प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
20. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, निदेशालय, अजमेर, राज.
21. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, आरएसआरटीसी सीस्कीम, अशोक नगर, जयपुर।
22. सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
23. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर, राजस्थान।
24. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर, राजस्थान।
25. अधीक्षक, (रेलवे) ग्रुप, पुलिस विभाग, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12683/2024

विक्रम सिंह झाला पुत्र श्री भंवर सिंह झाला, उम्र लगभग 68 वर्ष, शिक्षक ग्रेड-I, शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंघानिया, झालावाड़, (राजस्थान) निवासी एआई, न्यू मस्तर कॉलोनी, झालावाड़ शहर, झालावाड़। (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख वित्त सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
3. राजस्थान राज्य, सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12739/2024

1. सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री भागीरथ लाल, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 437, ऋषि गालव नगर, वार्ड नंबर 50, जयपुर, राजस्थान।
2. भगवान स्वरूप सोनी पुत्र श्री मोहन लाल सोनी, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी सावर, अजमेर, सावर, राजस्थान।
3. गंगा राम लीलानी पुत्र श्री वीरमल लीलानी, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 132, एचबी नगर, पावर हाउस के पास, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान।
4. टेऊ मल चंदवानी पुत्र श्री छट्टूमल, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 12, सेक्टर-3, जेपी । नगर, मदार, अजमेर, राजस्थान।
5. लाज धनवानी पत्नी श्री जवाहर चैनवानी, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 621, प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर, राजस्थान।
6. सुशीला व्यास पत्नी श्री महेश चंद्र शर्मा, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी बोहरा गणेश मार्ग, 5 न्यू गणपति नगर, ए ब्लॉक, उदयपुर, राजस्थान।
7. कन्हैया लाल दशोरा पुत्र श्री गोपी लाल, उम्र लगभग 77 वर्ष, निवासी 3-डीएच-36, प्रभात नगर, हिरण मगरी, सेक्टर-5, मनवा खेड़ा (ग्रामीण), उदयपुर, एच मगरी, उदयपुर, राजस्थान।
8. त्रिलोक सिंह शेखावत पुत्र स्वर्गीय श्री सज्जन सिंह, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट चिराना, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
4. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
8. सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
9. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12881/2024

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी एस-96, खातीपुरा रोड, एनबीसी के सामने, शांति नगर, जयपुर, राजस्थान। सेवानिवृत्त व्याख्याता संस्कृत शिक्षा।

2. अमर चंद कुमावत पुत्र स्व. घासी राम कुमावत, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी साईवाड़, साईवाड़, जयपुर, शाहपुरा, राजस्थान, सेवानिवृत्त शिक्षक ग्रेड-द्वितीय।
3. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री माधा राम, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 91, गोथरी, महेन्द्रगढ़। सेवानिवृत्त अध्यापक ग्रेड-1 (राजनीति विज्ञान)।
4. रामअवतार शर्मा पुत्र स्व. हरि कृष्ण शर्मा, निवासी ए-1, अनाद कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा-303303, सेवानिवृत्त सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त कार्यालय। जिला परियोजना समन्वयक, एसएमएसए, दौसा।
5. सीता राम रैगर पुत्र स्व. राम सुखा रैगर, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी रैगर मोहल्ला, तहसील बामनवास, लिवाली, सवाई माधोपुर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक।
6. सत्य नारायण शर्मा पुत्र दामोदर प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी लिवाली, सवाई माधोपुर सेवानिवृत्त अध्यापक ग्रेड-III।
7. ओम प्रकाश जैन पुत्र बद्री लाल जैन, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बजार, भगवतगढ़, सवाई माधोपुर, सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन ग्रेड-III।
8. महेश कुमार गुप्ता पुत्र भौरी लाल गुप्ता, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी लिवाली, सवाई माधोपुर सेवानिवृत्त शिक्षक जी-III लेवल-2, जीएसएसएस, लिवाली, सवाई माधोपुर।
9. राम बाबू गुप्ता पुत्र रूपनारायण गुप्ता, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर-14, मामोदियों का मोहल्ला, चक्षु, जयपुर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक।
10. संतोष कुमार जैमिनी पुत्र प्रभु दयाल जैमिनी, निवासी 302, मुख्य बाजार, लिवाली, सवाई माधोपुर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. राजस्थान राज्य, सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
3. सचिव वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12949/2024

रमेश चंद बैरवा पुत्र रामपाल बैरवा, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी आदर्श कॉलोनी, वार्ड नंबर 4, स्यालावास कलां, दौसा राजस्थान 303313

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
3. निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13042/2024

लड्डू लाल शर्मा पुत्र श्री रामविलास शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी गणेश नगर ईदगाह मोड़ गणेश मंदिर के पास गंगापुर सिटी सर्वाई माधोपुर राजस्थान 30-6-2016 को राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मंच जिला करौली (राजस्थान) कार्यालय से आयुर्वेद चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी करौली, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय बराटपुर, राजस्थान।
6. कोषाधिकारी, गंगापुर सिटी।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13107/2024

सत्य नारायण शर्मा पुत्र दामोदर प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी मेन बाजार, लावा, मालपुरा, टोंक, राजस्थान, पिन कोड संख्या 304504 (सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2022)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक पेंशन, पेंशन विभाग, वीआईटी भवन, जनपद, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय) टोंक।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13109/2024

1. जगन लाल पुत्र श्री गोपी लाल, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी पावर हाउस कॉलोनी, रूपवास, भरतपुर, राज.

- जमुना प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. नत्थी लाल शर्मा, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी अगमा मोहल्ला, पुराने पावर हाउस के पास- कामां, भरतपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राज. के माध्यम से।
- निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर, राज.
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर राज.
- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13113/2024

हरिराम पुत्र श्री श्योजीराम, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी ग्राम देवगांव, पोस्ट परसरामपुरा (नया), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारंभिक शिक्षा), झुंझुनू।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)

---- प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13115/2024

नादान सिंह मिर्धा पुत्र श्री भैरू सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी राजपूत मोहल्ला, बिचलवास (ग्रामीण), पो. दौसा, जिला दौसा (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- जिला कलक्टर, दौसा (राज.)
- तहसीलदार (भूमि अभिलेख), दौसा (राज.)
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13118/2024

बाबू लाल महावर पुत्र श्री देवी लाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी मकान नं. 40 संत तुकाराम सामुदायिक भवन, कृष्णा विहार, कुन्हाड़ी, कोटा 324008।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसके निदेशक के माध्यम से, विद्युत भवन जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
2. उप सचिव (पेंशन) रवुनल, रजि. कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय विद्युत भवन जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रवुल, राजस्थान, कोटा।
4. लेखा अधिकारी (केएसटीपीएस), आरवीयूएनएल, कोटा।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13127/2024

जगदीश प्रसाद तेली पुत्र राम प्रसाद साहू, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम-संडेरा, तह. पिपलू टोंक, राजस्थान, पिन कोड संख्या 304801 (सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2022)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक पेंशन पेंशन विभाग, वीआईटी भवन, जनपथ, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), टोंक।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13141/2024

1. प्रमोद कुमार चौहान पुत्र श्री दिनेश चंद्र चौहान, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 178, आयकर नगर-2, रेलवे ओवरब्रिज के पास, कल्याणपुरा, जयपुर
2. वासुदेव पावा पुत्र कपवा, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी पी.नं. 210, फ्रंटियर कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
3. श्रीमती. बसंत कौर ग्रोवर पत्नी जय दयाल ग्रोवर, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी सी-438, निर्माण नगर, अजमेर रोड, भगत सिंह मार्ग, किंग्स रोड, जयपुर
4. सुनीता गुरदास्वामी पुत्री पेसुमलगुरदासवानी, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी पी.नं. 109, सिंधी कॉलोनी, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर,
5. गिरधर सिंह पुत्र राम सिंह, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी पी.नं.10, नव विहार कॉलोनी, गली नं.1, गुलाब बाड़ी, अजमेर
6. गणेश नारायण शर्मा पुत्र रूपनारायण शर्मा, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 94, गोकुल विहार-बी, बुधसिंहपुरा, गली 71 विभाग पानी की टंकी के पीछे, सांगानेर, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13304/2024

कृष्ण कुमार सोनी पुत्र श्री मूलचंद सोनी, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत डीडवाना, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जन पथ, जयपुर (राज.)
3. अधीक्षण अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दौसा (राज.)
4. लेखा अधिकारी (पेंशन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13370/2024

राम किशोर सिंघल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सिंघल, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी 14/167, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जिला जयपुर-302020 (राजस्थान)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांदमा कला, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त। (जोन कोड - 0141, पीपीओ संख्या 1037378 (आर)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13374/2024

कल्याण सहाय जाट पुत्र स्वर्गीय श्री भूरा राम जाट, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट नांगल लड़ी, वाया जाहोता, जिला जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, जिला जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13433/2024

1. अली हुसैन खान पुत्र रहमत खान, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम-चौकी, पोस्ट-पेपरोली, तहसीलरामगढ़ अलवर -301026 (राज.)
2. नंद कुमार शर्मा पुत्र मंगतू राम शर्मा, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी सी-657, बुद्ध विहार, जिला अलवर-301001 (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समता नगर, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला अलवर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13539/2024

राम सहाय मीना पुत्र मांगे लाल मीना, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी नंगी का बाड़, गांव व पोस्ट इंदरगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. मुख्य नगर नियोजन अधिकारी, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13545/2024 हरि नारायण गुप्ता पुत्र हनुमान सहाय गुप्ता, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी बड़ गोलियों का मौहल्ला, मुख्य बाजार, अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कृषि एवं बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, सी-स्कीम, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13612/2024

शिवचरण पुत्र स्व. लल्लूराम, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी अमन विहार कॉलोनी, रोडवेज डिपो के पीछे, दौसा (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)। 3. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), दौसा, दरगाह हजरत शाह जमाल के सामने, कृषि भवन लालसोट रोड, दौसा, राजस्थान।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13650/2024

1. इंद्राज सिंह सिराधना पुत्र जयमल सिंह, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 17, ढाणी सिराधना, बाबई, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
2. राम दयाल सोनी पुत्र मोहन लाल सोनी, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी रोड नंबर 2, पीपली चौराहा, नई आबादी, असनावर, जिला झालावाड़, राजस्थान।
3. चंद्र किशोर सक्सैना पुत्र बाबू लाल सक्सैना, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी 1-जे-29, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान।
4. कालू लाल मीना पुत्र भवानी लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी बोरखेड़ी, बावड़ी खेड़ा, झालावाड़, राजस्थान।
5. नूर मोहम्मद खान पुत्र कंवर अली खान, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी सी-27, कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. किशन लाल पुत्र भवानी दास, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी गली नंबर 9-ए, मकान नंबर 13, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड, कोटा, राजस्थान।
7. राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र ज्ञानस्वरूप शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी रेन बसेरा के सामने, नयापुरा खाई रोड, कोटा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13681/2024

चोथमल पुत्र श्री हेमराज, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी डाकघर के पीछे, रैगरान मोहल्ला, सांभर झील, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान ।

----याचिकाकर्ता

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट भवन, बनीपार्क, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13788/2024

जीतमल कुम्हार पुत्र श्री जोधा कुम्हार, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी नेतवाल महाराज, महाराज की नेतवल, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग (प्रशासन), कृषि पंत भवन, जनपथ,
3. सहायक निदेशक, कृषि विभाग, कृषि (विस्तार) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13791/2024

चतुर्भुज कुम्हार पुत्र श्री रतन लाल कुम्हार, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी छीपों का आकोला, चित्तौड़गढ़ (राज.)। सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला। गिरवा, जिला-उदयपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. आयुक्त कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)।
3. संयुक्त निदेशक कृषि विभाग (प्रशासन), कृषि पंत भवन, जनपथ, वानिकी पथ, जयपुर (राजस्थान)
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13866/2024

रामचन्द्र रायगोर पुत्र श्री जालम, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी छापरी, धनेरिया जिला-राजसमंद (राज.)। जिला प्रारम्भिक कार्यालय, जिला-राजसमंद (राजस्थान) से सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज.)।
3. जिला प्रारंभिक शिक्षा, जिला राजसमंद (राज.)
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13886/2024

माली राम शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 73 वर्ष, वार्ड नंबर 13, नारेडी धर्मशाला के पास, गांव व पोस्ट अजीतगढ़, जिला-सीकर (वर्तमान जिला-नीमका थाना) सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, खोरी, अहपुरा, जिला-जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13912/2024

1. खजान सिंह, पुत्र श्री टीकम सिंह, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट पिपला, तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान, दिनांक 30.06.2020 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला परशुराम, ब्लॉक सेवर जिला भरतपुर राजस्थान में पीटीआई ग्रेड तृतीय के पद से सेवानिवृत्त हुए।
2. नोहबत सिंह, पुत्र श्री गिराज सिंह, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट ताखा, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राजस्थान, दिनांक 30.06.2014 को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भरतपुर राजस्थान के सहायक अभियंता (ए-III) कार्यालय में शिकायत परिचारक (सीसीए-III) के पद से सेवानिवृत्त।
3. श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री गिरधारी, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 7, राधा नगर कॉलोनी, गोलपुरा रोड भरतपुर राजस्थान, कार्यालय अधिशासी अभियंता (सिविल) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम) भरतपुर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के पद से 30.06.2023 को सेवानिवृत्त।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेवर जिला भरतपुर
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से
7. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर
8. उप सचिव (पेंशन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर
9. कार्यकारी अभियंता (सिविल) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (जयपुर डिस्कॉम) भरतपुर राजस्थान
10. सहायक अभियंता, (ए-III) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भरतपुर राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13917/2024

1. अन्नदी लाल पुत्र भागीरथ मल राणा, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी श्री माधोपुर, सीकर राजस्थान।
2. भगवान सहाय बुनकर पुत्र स्वर्गीय श्री मोतीराम बुनकर, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी रणजीतपुरा पोस्ट किशनपुरा, वाया बड़हट, जिला जयपुर, राजस्थान।

3. कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र भवर लाल शर्मा, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी भोजपुर खुर्द, पोस्ट भोजपुर कलां, बाया जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, श्री माधोपुर, सीकर।
2. मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी, किशनगढ़, रेनवाल।
3. निदेशक, कृषि विपणन, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13918/2024

जाकिर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी चांदपोल मस्जिद के पास, गांव व पोस्ट कांकरोली, जिला- राजसमंद (राज.)। सेवानिवृत्त व्याख्याता ग्रेड- I, राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फरारा, ग्राम फरारा, ब्लॉक राजसमंद, जिला राजसमंद (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज.)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला राजसमंद (राज.)
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13954/2024

अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीचंद सोनी, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी निमाज, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, चोमू हाउस, जयपुर प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. प्रबंधक, पाली डिपो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पाली, जिला पाली।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14024/2024

1. परशराम मीना, पुत्र श्री चिरंजी लाल मीना, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम मंडावरा पोस्ट कुडगांव, तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान दिनांक 30.06.2024 को

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ा, ब्लॉक सपोटरा जिला करौली राजस्थान में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए।

2. खजान सिंह, पुत्र श्री विजय सिंह, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बछामदी, तहसील नदबई जिला भरतपुर राजस्थान, 30.06.2012 को अध्यापक ग्रेड II (वरिष्ठ अध्यापक) के पद से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बछामदी, जिला भरतपुर राजस्थान से सेवानिवृत्त।
3. लाल चंद जांगिड़, पुत्र श्री मोहन लाल जांगिड़, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट बीदासर, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान, 30.06.2013 को अध्यापक ग्रेड II (वरिष्ठ अध्यापक) के पद से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पनलावा, जिला सीकर राजस्थान में सेवानिवृत्त हुए।
4. महावीर प्रसाद, पुत्र श्री माला राम, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कुडली, वाया कटराथल जिला सीकर राजस्थान, दिनांक 30.06.2019 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), सीकर राजस्थान में वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य समकक्ष) के पद से सेवानिवृत्त
5. सांवर मल, पुत्र श्री हनुमान राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम अजीतपुरा पोस्ट कूदन, वाया कटराथल जिला सीकर राजस्थान, 30.06.2021 को शारीरिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड III (पेट-III) के पद से राजकीय माध्यमिक विद्यालय चैनराम का बास, धर्मशाला ब्लॉक पिपराली जिला सीकर राजस्थान में सेवानिवृत्त हुए।
6. जीतेन्द्र कुमार सोनी, पुत्र श्री मोहम लाल सोनी, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बिचून, वाया शानभर तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान दिनांक 30.06.2014 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गंगटी कलां ब्लॉक दूदू जिला जयपुर राजस्थान में शिक्षक ग्रेड III के पद से सेवानिवृत्त हुए।
7. रामअवतार सोनी, पुत्र श्री कन्हैया लाल सोनी, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी सीताराम जी का मंदिर के पास, मायला बाजार, फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान दिनांक 30.06.2017 को कार्यालय नगर परिषद फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सहायक कर्मचारी) के पद से सेवानिवृत्त हुए।
8. रमेश चंद्र सोनी, पुत्र श्री मोहन लाल सोनी, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बिचून, वाया शानभर तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान दिनांक 30.06.2018 को कार्यालय सहायक अभियंता (ओएंडएम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बागीदौरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान में हेल्पर-I के पद से सेवानिवृत्त हुए।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर

8. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), सीकर राजस्थान
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दूदू
10. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर
11. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, फुलेरा जिला जयपुर
12. अजमेरविद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर, इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से
13. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
14. उप सचिव (पेंशन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर आर वी पी एन एल), जयपुर
15. लेखा अधिकारी, (ओएनडीएम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांसवाड़ा राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14028/2024

वीना यादव पत्नी स्व. केएल यादव, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 242-मंगलम आनंद एक्सटेंशन, महापुरा, जयपुर 302026

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राज्य सचिवालय, जयपुर-302005 के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर-334001।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), (प्रारंभिक शिक्षा), शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर 302015।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर 302015

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14077/2024

1. जगदीश प्रसाद नागर पुत्र श्री नारायण लाल नागर, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी बाला जी पाड़ा, वीपीओ भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2. बाबूलाल पंकज पुत्र श्री जगन्नाथ पंकज, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रानी बड़ोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां।
3. अब्दुल हामिद पुत्र बहादुर खान, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम फल्दी, पोस्ट बांस थूनी, तहसील किशनगंज, जिला बारां
4. अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल अजीज, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी शहराना बस्ती, गांव व पोस्ट किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
5. श्रीमती. अयोध्या बाई पत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी पुराना गढ़ी के पास, गांव और पोट कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

6. पीर मोहम्मद पुत्र श्री अल्लानूर खान, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी अमृत विस्तार आई, मकान नंबर 60, मस्जिद के पास, बोरखेड़ा, जिला कोटा।
7. बृजमोहन मालव पुत्र कल्याण प्रसाद, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी गणेश मेटल के पीछे, मांगरोल रोड, बारां
8. शंकर लाल कर्ण पुत्र सीताराम कर्ण, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी कर्ण सदन, तेल फैक्ट्री, बारां
9. रतन लाल शाक्यवाल पुत्र विरधी लाल शाक्यवाल, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी नेई नाका चुंगी, मथाना तिराया, मांगरोल रोड, बारां
10. जगदीश प्रसाद पटवा पुत्र मूलचंद पटवा, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी ओ.पी. तहसील, ग्राम एवं पोस्ट किशनगंज, जिला बारां
11. श्रीमती. राम भरोसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री पुरोत्तम स्वरूप शर्मा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम डूंगरपुर, पोस्ट लाटूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
12. रामस्वरूप गौतम पुत्र नंद किशोर गौतम, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी गड़िया कॉलोनी, तेल फैक्ट्री, बारां

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
3. लेखा अधिकारी (पेंशन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर
4. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भंवरगढ़ जिला बारां
5. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ जिला बारां
6. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगंज जिला बराज
7. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अटूरु जिला बारां
8. सहायक अभियंता (एआई), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बारां
9. सहायक अभियंता (एआई), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगंज, जिला बारां
10. कार्यकारी अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बारां

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14078/2024

1. शिव चंद पुत्र श्री लक्ष्मण राम जाट, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम पातुसरी, जिला झुंझुनू
2. काशी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, छावनी बाजार, तिवाड़ी चक्री के पास, झुंझुनू
3. शिशुपाल सिंह पुत्र नोपाराम, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, गांव कैरू, नवलगढ़, जिला झुंझुनू

4. रणजीत पुत्र धन्ना राम, निवासी, वार्ड नंबर 14, पत्तीराम हवेली के पास, कटना, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू
5. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, निवासी वार्ड नंबर 9, इंडाली, जिला झुंझुनू
6. महावीर प्रसाद अलारिया पुत्र सुरजा राम, निवासी वार्ड नंबर 05, कायमसर, चिड़ावा जिला झुंझुनू
7. ओम प्रकाश शर्मा पुत्र मनभर राम शर्मा, निवासी वार्ड नंबर 11, भोडन पोस्ट मुरादपुर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू
8. पाबूदान सिंह पुत्र श्री गिरवर सिंह, निवासी श्यामपुरा बाराठोंका, पुनियो का बास, जिला झुंझुनू
9. सरदार सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, निवासी वार्ड नंबर 1, पंजाब के पास। स्कूल, सूरजगढ़ ग्रामीण, जिला झुंझुनू
10. रामदेव राम रैगर पुत्र सुवाराम रैगर, निवासी वार्ड नंबर 7, पोस्ट भोमिया वाला, वी एंड पी बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज.)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर प्रबंध निदेशक के माध्यम से
2. राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के माध्यम से
3. सचिव (प्रशासन) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
4. लेखा अधिकारी (पेंशन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
5. सहायक अभियंता (टी एवं सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, झुंझुनू
6. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झुंझुनू
7. सहायक अभियंता (आर), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झुंझुनू
8. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेतड़ी नगर, नीमकाथाना
9. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेतड़ी टाउन, नीमकाथाना
10. सहायक अभियंता (ओ एंड एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरजगढ़, झुंझुनू
11. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मलसीसर, झुंझुनू
12. लेखा अधिकारी (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झुंझुनू

-----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14080/2024

1. श्री ओम प्रकाश जलवाल पुत्र लेफ्टिनेंट श्री प्रभु दयाल सिंह, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी ए-31-बी, अशोक विहार, सामने। एमएलए क्वार्टर, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर-302020।
2. श्री प्रेम शंकर शर्मा पुत्र लेफ्टिनेंट श्री भगवान सहाय शर्मा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 50/96, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर एपेक्स हॉस्पिटल के पास 302020।

3. श्री ललित मोहन आर्य पुत्र लेफ्टिनेंट लक्ष्मी नारायण, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी 01, जगदीश कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर -302015।
4. श्री एज़ाज़ हकीम पुत्र श्री अब्दुल हलीम, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 118, गोविंदपुरी पूर्व, रामगढ़ मोड, अंबर रोड, जयपुर।
5. श्रीमती. दुर्गेश कंवर पारीक पत्नी लेफ्टिनेंट श्री राजेंद्र प्रसाद पारीक, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी हलवाईयों की गली, पुराना शहर, किशनगढ़, अजमेर-305802
6. श्री फूल चंद पुत्र लेफ्टिनेंट श्री. नानग राम, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी 186, जनकपुरी-द्वितीय, इमली फाटक, जयपुर।
7. श्री दामोदर लाल खंडेलवाल पुत्र श्री हरि प्रसाद खंडेलवाल, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 169, शिल्प कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, मुख्य प्रबंध निदेशक, विद्युत भवन, जयपुर के माध्यम से। 3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिमिटेड, मुख्य प्रबंध निदेशक, विद्युत भवन, जयपुर के माध्यम से
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिमिटेड, मुख्य प्रबंध निदेशक के माध्यम से, विद्युत भवन, मकरवाली रोड, मकरवाली, अजमेर।
5. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14083/2024

मारूराम यादव पुत्र हरदेव सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम हुडिया खुर्द, पोस्ट हुडिया कलां, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
5. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक तिजारा, जिला अलवर।
6. राजस्थान राज्य, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14263/2024

रामेश्वर प्रसाद आर्य पुत्र भूरा मल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1, अमृत कॉलोनी, नींदड़, हरमारा अखेपुरा, जयपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14341/2024

श्रीमती पुष्पा भगतानी पुत्री श्री मनोहर लाल, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी पंचशील बी ब्लॉक विनायक कॉम्प्लेक्स मकरवाली अजमेर क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर, राजस्थान 305004, व्याख्याता (हिंदी) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराधना, ब्लॉक पीसांगन जिला अजमेर के पद से सेवानिवृत्त।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, पेंशनर्स एवं पेंशन कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर।
7. प्राचार्य शासकीय.एच.आर. माध्यमिक विद्यालय, सराधना ब्लॉक पीसांगन जिला अजमेर

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16051/2019

सुरेंद्र सिंह शेखावत पुत्र श्री रावत सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ए-75, रघुनाथपुरी, कलवार रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख वित्त सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

- राजस्थान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, जेएलएन मार्ग जयपुर।
- निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14194/2023

गजानंद शर्मा पुत्र स्व. चोथ मल शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा, पोस्ट टोडा ठेकला, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रबंध निदेशक के माध्यम से, परिवहन मार्ग, सीस्कीम, जयपुर (राज.)
- मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटा डिपो, कोटा, राज.

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17681/2023

जगदीश चंद्र खंडेलवाल, पुत्र सुवा लाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी सी-1234, शंकर कॉलोनी, लोहा मंडी, बे पास, मचाडा, जयपुर, राजस्थान - 302013।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, अपने मुख्य सचिव, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर-राजस्थान के माध्यम से
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार, सरकार सचिवालय, जयपुर 4. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, मूल्यांकन विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, जयपुर

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18155/2023

अमर चंद, पुत्र कन्हियालाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 45, भैरव नगर, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान - 302020

----याचिकाकर्ता

बनाम

- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसका मुख्यालय चोमू हाउस, परिवहन मार्ग, सिविल लाइंस के पास, जयपुर, राजस्थान में है।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसका मुख्यालय चोमू हाउस, परिवहन मार्ग, सिविल लाइंस के पास, जयपुर, राजस्थान में है।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18167/2023

राम चरण विजय, पुत्र स्वर्गीय श्री राम निवास विजय, आयु लगभग 71 वर्ष, सेवानिवृत्त लेखाकार, मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा) कार्यालय, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर तथा निवासी 14, आदर्श नगर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने, जयपुर रोड, मालपुरा, जिला टोंक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर इसके सचिव (प्रशासन) के माध्यम से - 302005।
2. लेखा अधिकारी (पेंशन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस, राम मंदिर के पास, बनीपार्क, जयपुर-302016।
3. लेखा अधिकारी (स्थापना कं.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर- 302005।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7343/2024

1. श्रीमती. कमलेश पारीक पत्नी मनमोहन पारीक, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी मकान नं. 51, श्रीराम कॉलोनी, झिलाय रोड, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।
2. प्रकाश नारायण विजयवर्गीय पुत्र जतन लाल विजय, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ए-545, विद्युत नगर-ए, अर्जुन पथ, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
3. आलोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र एसएन लाल श्रीवास्तव, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बी-74, उद्यान पथ, पार्श्वनाथ कॉलोनी, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
5. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जयपुर।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जयपुर।
7. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जयपुर।
8. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
9. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन-2, सिविल लाइन, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।

11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7706/2024

सुल्तान मेहरात पुत्र स्वर्गीय श्री अहमद मेहरात, आयु लगभग 68 वर्ष, सेवानिवृत्त अध्यापक ग्रेड-III, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कानपुरा, देवाता, पंचायत समिति जवाजा, उस समय जिला अजमेर, अब यह ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, निवासी ग्राम नाका का बाडिया, डाकघर दुर्गावास, तह. ब्यावर वाया काबरा, जिला ब्यावर पिन 305927

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, (प्रारंभिक शिक्षा), सचिवालय, जयपुर-302001 के माध्यम से।
2. शिक्षा निदेशक, (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान सरकार, निदेशालय, बीकानेर- 334001।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, ब्यावर, (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान सरकार, मुख्यालय, ब्यावर, जिला ब्यावर-305901।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8058/2024

राधा गोविंद मिश्रा पुत्र श्री शिवदत्त मिश्रा, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी 25, शिवपुरी कॉलोनी, लज़ीज़ होटल के पास, सोडाला, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर के माध्यम से।
3. अधिशाषी अभियंता डीडी-2, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वरुण पथ मानसरोवर जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (ईए/कैश), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11325/2024

राधा किशन खिंची, पुत्र- रामभुज, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी-डीपोल दरवाजा, बागर चौक, वार्ड नंबर-13, नैनवा, जिला-बूंदी (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार- सचिवालय-जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राजस्व मंडल, रजिस्ट्रार अजमेर के माध्यम से।
3. जिला कलक्टर, बूंदी।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11948/2024

पुष्पा खत्री पत्नी श्री महेश चुघ, निवासी फ्लैट नंबर डी704, महिमा आइरिस अपार्टमेंट, स्वेज फार्म, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12946/2024

इंद्र कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जहरिया राम, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी गांव व तहसील - कोटकासिम, जिला - खैरथल तिजारा। (सेवानिवृत्त शिक्षक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. उप. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर रेंज, शिक्षा शंकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय), घोड़ा फेर सर्किल, अलवर (राज.)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13036/2024

नवल किशोर शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 192/48, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर, प्रताप नगर सेक्टर-11, जयपुर (राजस्थान)। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक ग्रेड-I, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोहनपुरा, वाटिका, टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13058/2024

1. झम्मन लाल पुत्र भगवत प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 68, ब्राह्मण मोहल्ला, खखावली, भरतपुर, राजस्थान।
2. रमेश चंद्र पुत्र सूरज पाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी मकान नंबर 2 वार्ड नंबर 7 (गली नंबर 3), अपोलो प्रोग्रेसिव स्कूल के पास, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी, पलवल, हरियाणा।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. राजस्थान राज्य, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13063/2024

महेश चंद गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 492, धन्वंतरि नगर, गंगापुर सिटी, जिला सवाई-माधोपुर (राजस्थान)। सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सैमरदा, जिला करौली (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13085/2024

श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नी श्री ज्वाला प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 68, आशीर्वाद, विराट नगर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)। सेवानिवृत्त अध्यापक लेवल-2, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवाजी नगर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), जिला अजमेर (राजस्थान)।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13091/2024

1. डीके सारस्वत पुत्र स्वर्गीय श्री भवानी किशोर सारस्वत, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी मकान नंबर 129, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, राजस्थान।
2. अब्दुल साहिद पुत्र घुड़िया, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी नंबर 2, स्कूल के पास, चूली गेट, गंगापुर सिटी, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) भारत सरकार, रेल भवन 1, रायसीना रोड, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग रेलवे बोर्ड।
3. वरिष्ठ मंडल वेतन प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर), कोटा मंडल, कोटा।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13093/2024

1. सुशील कुमार पुत्र श्री छोटे लाल सिसौदिया, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 24-बी, दानमल माथुर कॉलोनी, गुलाब बाड़ी, अजमेर, राजस्थान।
2. सुमन कुमार जलुथरिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जलुथरिया, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 1334/13, खानपुरा रोड, सामने। एचएमटी कॉलोनी, सुंदर नगर, अजमेर, राजस्थान।
3. बिमला गौड़ पत्नी श्री कल्याण सिंह हाड़ा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी आशुतोष भवन, मीर्शशाल्की, इंद्रा कॉलोनी, सरकारी क्वार्टर नंबर एफ-6 के पास, अजमेर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
4. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13105/2024

1. मोती राम पुत्र श्री नानू राम, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी बालेस का टिब्बा, रूपनगढ़, जिला - अजमेर (राजस्थान)। सहायक अभियंता (ओ एंड एम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रूपनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान) के कार्यालय से सीसीए-III से सेवानिवृत्त ।
2. छीतर पुत्र श्री पूसा, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी मालियों की ढाणी, भादून, रूपनगर जिला-अजमेर (राजस्थान)। कार्यालय सहायक अभियंता (ओ एवं एम) रूपनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान) से सेवानिवृत्त हेल्पर-II।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (एवीवीएनएल) अपने प्रबंध निदेशक, मकरवाली रोड, पंचशील, अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रूपनगढ़ जिला - अजमेर (राजस्थान)।
3. अधीक्षण अभियंता, अजमेर जिला वृत्त (एडीसी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13144/2024

सत्य नारायण शर्मा पुत्र गूजर मल शर्मा, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी 1/160 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टोंक, जिला टोंक, राजस्थान, पिन कोड संख्या 304001 (सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2020)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक पेंशन, पेंशन विभाग, वीआईटी भवन, जनपद, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय) टोंक।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13232/2024

1. गिरधारी लाल यादव पुत्र श्री रामकरण, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 260, सुंडा की होटल के पास, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)। सेवानिवृत्त एसएसए-द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता (रीको) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
2. सत्तार पुत्र श्री सम्मद खान, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी इमामवाडे, हमदर्द नगर, किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.)। कार्यालय सहायक अभियंता (रीको) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राजस्थान) से सेवानिवृत्त सहायक प्रथम
3. शमशुद्दीन पुत्र श्री नाथू खान, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 36, मजवियों का मौहल्ला पुराना शहर, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)। कार्यालय सहायक अभियंता (रीको)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राजस्थान) से सेवानिवृत्त सीसीए-III

4. बाबू लाल पुत्र श्री जगन्नाथ, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी शिमला साइजिंग के पीछे, सुमेर नगर, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)। सहायक अभियंता (रीको) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राजस्थान) कार्यालय से सेवानिवृत्त हेल्पर-I

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), इसके प्रबंध निदेशक, मकरवाली रोड, पंचशील, अजमेर (राज.) के माध्यम से।
2. सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (रिको), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)
3. अधीक्षण अभियंता अजमेर जिला वृत्त (एडीसी), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13242/2024

रामचन्द्र पुत्र श्री जयनारायण, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी भिंडा मोहल्ला, गांव और पोस्ट रलावता, तहसील किशनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान), सहायक अभियंता (ओ एंड एम) कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान) से सेवानिवृत्त एलएम-द्वितीय।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (एवीवीएनएल) अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, विद्युत भवन मकरवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर (राजस्थान)।
2. अधीक्षण अभियंता (एडीसी), अजमेर जिला वृत्त, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (राजस्थान)।
3. सहायक अभियंता (ओ एंड एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) अजमेर रोड, किशनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13258/2024

1. रीता साहनी, पत्नी श्री सूर्यभान सिंह, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी मकान संख्या 3/75, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जवाहर नगर भरतपुर राजस्थान
2. सूर्यभान सिंह, पुत्र श्री दीवान सिंह, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान संख्या 3/75, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जवाहर नगर भरतपुर राजस्थान
3. कल्याण सिंह, पुत्र श्री पूरणमल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम पाटोंदा, पोस्ट खेड़ा, तहसील श्रीमहावीर जी जिला करौली राजस्थान
4. कुबेर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम बनवारीपुर पोस्ट शांतिवीर नगर, वाया श्री महावीर जी जिला करौली राजस्थान

5. बिहारी लाल, पुत्र श्री जौहरी लाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, गांव व पोस्ट सिकंदरा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान
6. कय्यूम खान, पुत्र श्री गफूर खान, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर बी-101, संजय नगर, भट्टा बस्ती, जयपुर राजस्थान
7. भूर सिंह, पुत्र श्री मूलाराम, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी ग्राम जटनगला, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर
6. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
9. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिण्डौन सिटी
10. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढाचन्द्रजी
11. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी बयाना
12. आयुक्त, नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर
13. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर
14. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिवालय, जयपुर
15. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
16. ए.एन., पीडब्ल्यूडी, सब डिविजन प्रथम, हिंडौन सिटी
17. निदेशक, पेंशन विभाग, ज्योति नगर, जयपुर

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13263/2024

रामावतार शर्मा पुत्र श्री घीसा लाल शर्मा, उम्र लगभग 79 वर्ष, निवासी हरियाना मोहल्ला, पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.) सेवानिवृत्त हेड मास्टर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बीती, जिला अजमेर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख वित्त सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राजस्थान)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला अजमेर (राजस्थान)।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13312/2024

राम भरोसी लाल पुत्र स्व. छिद्दा लाल शर्मा, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 216, पारस मोहल्ला, खरे कुआ के पास, रूपवास, जिला भरतपुर, राजस्थान। वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय विभाग राजस्थान एवं स्वर्गीय श्री राम जी लाल स्वर्णकार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर, जिला भरतपुर राजस्थान के पद से सेवानिवृत्त। पीपीओ नंबर 201945 (आर)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13317/2024

शिव राम पुत्र श्री पन्ना लाल, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी खान सूरजपुरा, जिला भरतपुर, राजस्थान। आप माध्यमिक विद्यालय विभाग राजस्थान और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुरा मालोनी, ग्राम पुरा, ब्लॉक रूपवास, जिला भरतपुर, राजस्थान से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पीपीओ संख्या 1181897 (आर)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13326/2024

1. राम चन्द्र जाट पुत्र स्व. गौरी शंकर जाट, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अमरसर, लीला का ढेर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान-303601।
2. बन्ना राम पुत्र स्व. प्रभात माली, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 05, ग्राम व पोस्ट धवली, तहसील शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान 303806।

3. पांचूराम माली पुत्र धुंकल राम, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 116, सेवापुरा की ढाणी, आमलोदा, वीपीओ धवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान -303806।
4. रामेश्वर कुम्हार पुत्र स्व. भूरा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अमरसर, कुम्हारों का मौहल्ला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान 303601।
5. बाबू लाल सैनी पुत्र स्व. रामदेव सैनी, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी वी एंड पी अमरसर, ढाणी काली जोड़ी, शाहपुरा, जयपुर।
6. भोलाराम माली पुत्र भगवान माली (मृतक के बाद से), अपने कानूनी प्रतिनिधि श्रीमती के माध्यम से। गेंदी देवी पत्नी लेफ्टिनेंट श्री। भोला राम माली, निवासी ईश्वरदास का मौहल्ला, ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान-303601।
7. हनुमान सहाय बुनकर पुत्र श्री. सुवा लाल, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी ग्राम गुलाब बड़ी, पोस्ट महार खुर्द, वाया सामोद, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)।-303806।
8. कालू राम माली पुत्र स्व. प्रभात, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट धवली, वाया सामोद, तहसील शाहपुरा, जयपुर (राज.)-303806।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. उप / सहायक सचिव (पेंशन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, (जेजी ब्रत) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, (पीवीएएस), जयपुर डिस्कॉम, शाहपुरा।
5. लेखा अधिकारी (पेंशन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर डिस्कॉम, राडावास।
7. मुख्य कार्मिक अधिकारी (जेपीडीसी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13331/2024

1. रघुनाथ पुत्र श्री गिराज, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी बघेल मोहल्ला, सूरजपोल गेट के बाहर, भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.) दिनांक 30.06.2012 को सहायक अभियंता (एआई) जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर के कार्यालय में एसएसए-द्वितीय के पद से सेवानिवृत्त।
2. संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री एल.पी. गुप्ता, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 205, गणपति टावर, बाईपास रोड, खानदान क्रॉसिंग आगरा (उप्र), सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (प्रा.) जेवीवीएनएल धौलपुर के पद से 30.06.2023 को सेवानिवृत्त।
3. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नेतराम, आयु लगभग 77 वर्ष, निवासी शिव नगर, सिंघल मिल सर्कुलर रोड, भरतपुर (राज.) 30.06.2007 को चपरासी के पद से सेवानिवृत्त, कार्यालय एक्सईएन (सतर्कता) जेवीवीएनएल भरतपुर।
4. धर्मवीर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1611, रिलायंस टावर के पास, शास्त्री नगर, भरतपुर (राज.) 30.06.2017 को यूडीसी के पद से सेवानिवृत्त, कार्यालय एसीओएस, जेवीवीएनएल भरतपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर इसके अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
3. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।
4. उप सचिव (पेंशन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. जोनल मुख्य अभियंता (भरतपुर संभाग), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर।
6. लेखा अधिकारी (ओ एण्ड एम), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर राजस्थान।
7. लेखा अधिकारी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर (राजस्थान)।
8. अधीक्षण अभियंता (ओ एण्ड एम), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर राजस्थान।
9. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर राजस्थान।
10. अधिशासी अभियंता (ओ एण्ड एम), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर राजस्थान।
11. सहायक अभियंता (एआई), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर (राजस्थान)।
12. अधिशासी अभियंता (एम एण्ड पी), जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर राजस्थान।
13. अधिशासी अभियंता (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर राजस्थान।
14. सहायक नियंत्रक भण्डार, जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13359/2024

गिरिराज सिंह पुत्र बट्टी सिंह, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी मकान नंबर 54 शांति नाथ के पीछे, आदर्श नगर, कोटा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13362/2024

सावित्री व्यास पत्नी श्री अरविंद व्यास, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 10-बी-25, तिलक नगर, यश विहार के पीछे, भीलवाड़ा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से। 5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13535/2024

मुन्नी देवी सेन पत्नी स्वर्गीय गोपाल नारायण सेन, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी पुराना बास स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, गांव अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जलेबी चौक, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13586/2024

श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री प्यारे लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती, चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13591/2024

पूनम चंद शर्मा पुत्र श्री बिशन लाल, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मालियों का मोर्चा, पुराना शहर, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राजस्थान)। सेवानिवृत्त मीटर द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता (पीवीएस) अजमेर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड-किशनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान) से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, विद्युत भवन मकरवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर (राज.)

2. अधीक्षण अभियंता (एडीसी), अजमेर जिला वृत्त, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (राज.)
3. सहायक अभियंता (पीवीएस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) अजमेर रोड, किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13668/2024

1. याकूब खान पुत्र श्री अब्दु खान, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी महादेव कॉलोनी वार्ड नंबर 14 सीकर, जिला सीकर (राजस्थान) पीपीओ नंबर 81102।
2. चंद्र राम पुत्र श्री राम देव राम, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13 धोद पो. धोद, जिला सीकर (राज.) पीपीओ नंबर Avvnl 1877
3. कजोर मल गुजर पुत्र श्री नारायण, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 37 यादव छात्रावास के पास आरटीओ रोड सीकर राजस्थान, पीपीओ नंबर एवीवीएनएल 2362।
4. चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण राम, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13 धोद पो धोद, जिला सीकर (राज.), पीपीओ नंबर एवीवीएनएल 1061।
5. लाखा राम पुत्र श्री ईश्वर राम, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट पेवा तहसील धोद, जिला सीकर (राज.) पीपीओ नंबर एवीवीएनएल 1307 आर.
6. राम नारायण जांगिड़ पुत्र पन्ना लाल, शास्त्री नगर वार्ड नॉन 26 राजेंद्र अस्पताल के सामने सीकर (राज.) पीपीओ नंबर एवीवीएनएल 2479।
7. खान सिंह पुत्र श्री रुधनाथ सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट चंद्र सिंह पुरा (जाना) बाया लोसल, जिला सीकर (राजस्थान) पपो नं. अववीएनएल 371।
8. गोमा बलाई पुत्र श्री हनुमान बलाई, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट भीमा बाया लोसल, जिला सीकर (राजस्थान) पपो नं. अववीएनएल 393।
9. भोला राम बलाई पुत्र श्री हुकमा राम, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी भीमा बाया लोसल, जिला सीकर (राजस्थान) पपो नं. अववीएनएल 444।
10. रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी रामनगर, पोस्ट गुंगारा बाया पिपराली, जिला सीकर (राज.) पीपीओ नंबर एवीवीएनएल 34261।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड, अजमेर (राज.)
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जन पथ ज्योति नगर लालकोठी जयपुर (राज.)
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड, अजमेर (राज.)
5. अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीकर वृत्त, जिला सीकर (राज.)

6. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीकर वृत्त, जिला सीकर (राज.)
7. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, धोद, सीकर वृत्त, जिला सीकर (राज.)
8. सहायक अभियंता (ओ एवं एम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लोसल, सीकर वृत्त, जिला सीकर (राज.)
9. सहायक अभियंता (एमपीटी एवं एस), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सीकर वृत्त, जिला सीकर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13853/2024

1. उदय चंद कोली पुत्र स्व. गोदूराम कोली, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी प्रकाश नगर महावर कॉलोनी रेलवे जादव फाटक दौसा। पशुधन परिचारक पशुपालन विभाग दौसा के पद से सेवानिवृत्त।
2. हरि नारायण सैन पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद सैन, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 48-ए कुमावत बड़ी खातीपुरा सिरसी रोड जयपुर सब इंस्पेक्टर पुलिस सीआई डी (एसएसबी) जयपुर के पद से सेवानिवृत्त।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशालय कार्यालय, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. निदेशक पशुपालन विभाग, टोंक रोड जयपुर।
5. निदेशक, पेंशनर्स एवं पेंशन कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलिजेंस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, दौसा।
8. प्रभारी जिला रोग निदान केन्द्र, दौसा।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14118/2024

त्रिलोक चंद्र राठौड़ पुत्र पूनम चंद, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 679-680, सेक्टर-7, केशवपुरा, कोटा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14519/2024

1. उमरदीन पुत्र श्री नूर मोहम्मद, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, पंचायत समिति क्षेत्रमा, उदयपुरवाटी, जिला नीम का थाना (राजस्थान)
2. गोविंद नारायण जाट पुत्र श्री मंगल चंद जाट, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ताखारो की ढाणी, बिहारीपुरा, सिरसली, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, अपने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, परिवहन मार्ग, चोमू हाउस, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से
2. कार्यकारी निदेशक (विधि), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, चोमू हाउस, जयपुर (राजस्थान)।
3. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, श्रीमाधोपुर डिपो, जिला सीकर (राजस्थान)।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14369/2024

1. जय सिंह राठौर पुत्र श्री रतन सिंह राठौर, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी बी-7, भान नगर, क्रींस रोड, जयपुर 302021
2. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी 491/ए, रजनी विहार, हीरापुरा अजमेर रोड, जयपुर 302021

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. विकास अध्ययन संस्थान, इसके निदेशक के माध्यम से, 8-बी झालाना औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302004।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, वित्त विभाग (बजट) (नियम प्रभाग), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14483/2024

1. राम किशन शर्मा, पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी 197, राजेंद्र नगर, भरतपुर राजस्थान, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर राजस्थान में एओ के पद से 30.06.2020 को सेवानिवृत्त
2. पूरण चंद गुप्ता, पुत्र श्री रतन लाल मोदी, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी गोविंद नगर कॉलोनी, मदारपुर रोड, भरतपुर राजस्थान, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं भरतपुर राजस्थान के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद से 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हुए।

- मान सिंह पुत्र श्री सुखराम, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट उत्तरादाबास तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान, 30.06.2020 को कमिश्नर जयपुर राजस्थान में सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली
- निदेशक, कोषागार एवं लेखा, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, भरतपुर
- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, जयपुर
- पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर
- आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर राजस्थान
- निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13439/2024

- मोहन सिंह पुत्र गिलहरी, निवासी वीपीओ-छौंकेरवाड़ा, तह. भुसावर, भरतपुर, पिन - 321407, राजस्थान।
- राम स्वरूप गुर्जर पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी गुर्जर मोहल्ला, महवा, दौसा, पिन 321608, राजस्थान।
- रघुवीर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी ओ.पी. दूरभाष. एक्सच., रामगढ़ रोड, महवा, दौसा, पिन 321608, राजस्थान
- भगवान स्वरूप सारस्वत पुत्र शिवचरण लाल, निवासी मकान नं. 2/117, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुप्तेवार रोड, दौसा, दौसा, राजस्थान।
- अशोक कुमार जैन पुत्र मूलचंद जैन, निवासी ट्रक यूनियन के पीछे, जैन कॉलोनी, महवा (दौसा) राजस्थान।
- रामजी लाल मीना पुत्र शिव लाल मीना, निवासी ग्राम। और पोस्ट रसीदपुर, तहसील महावा, जिला दौसा, राजस्थान।
- बाबू लाल शर्मा पुत्र बीरबल प्रसाद, निवासी ग्राम। और पोस्ट रसीदपुर, तहसील महावा, जिला दौसा, राजस्थान।
- देवी सहाय माली पुत्र मांगी लाल सैनी, निवासी ग्राम रसीदपुर, तहसील महावा, जिला दौसा, राजस्थान।
- हरि किशन मीना पुत्र बीएल मीना, निवासी ए-148, शिव शक्ति नगर, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा।
4. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख वित्त सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
8. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, सरकार सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
10. निदेशक/आयुक्त कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए

:

श्री विधुत कुमार गुप्ता,
श्री राम प्रताप सैनी,
श्री सतीश कुमार खंडाल
श्री शिवेन गुप्ता
श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता
श्री फतेह राम मीणा
श्री कैलाश चंद्र शर्मा
श्री भरत सिंह भाटी
श्री तनवीर अहमद
श्री कमल कांत शर्मा
श्री ऋषि कुमार शर्मा
श्री डी.एस. धारीवाल
श्री अभिषेक चौधरी
श्री धर्मेन्द्र जैन
श्री सागर मल चौहान
श्री सुदेश पंवार
श्री कुलदीप असवाल
श्री अजय कुमार जैन
श्री अशोक सिंह मीणा
श्री राकेश चौधरी
श्री भुवनेश तिवारी
श्री लक्ष्मी कांत मालपुरा
श्री नागेंद्र शर्मा
श्री संजय मेहला
श्री ललित कंवर शेखावत
श्री डी.एस. बागड़िया
श्री आर.एस. भारद्वाज
श्री अजय गुप्ता के साथ
सुश्री सम्पति शर्मा
श्री प्रशांत कुमार शर्मा

श्री कैलाश चौधरी
श्री सृजन तिवारी
श्री कैलाश चंद शर्मा
श्री मानवेन्द्र सिंह चौधरी
श्री अशोक मिश्रा
सुश्री लवीना अग्रवाल
श्री हिम्मत सिंह बिकरवार
श्री अजय प्रताप सिंह
श्री विजय पाठक
श्री विक्रम सिंह नैन
श्री रामधन चौधरी
श्री राकेश कुमार सैनी
श्री प्रतीक सक्सेना
श्री भुवनेश तिवारी
श्री आतिश जैन
श्री दीपक कुमार शर्मा
श्री विजेंद्र पारीक
श्री विनोद गोयल
श्री आशीष कुमार सक्सेना
श्री कपिल कुमार खंडेलवाल
श्री सुभाष बिसावा
श्री सुमित कुमार जैन
श्री अतुल कुमार जैन
श्री अभिषेक भारद्वाज
श्री कवल सिंह लोहा
श्री अरविंद कुमार बंशीवाल
श्री राकेश कुमार बैरवा
श्री तुषार सारस्वत
श्री हीरा लाल
श्री हंसराज कुलदीप
डॉ. महेश शर्मा
श्री गिरीश खंडेलवाल
श्री शैलेन्द्र सिंह बलवाड़ा
श्री गजेंद्र शर्मा
श्री महेश चंद गुप्ता
श्री सुनील कुमार सिंगोदिया
डॉ. सौगत रॉय
श्री राजेश चतुर्वेदी

प्रतिवादी(ओं) के लिए

:

श्री एसएस नरुका, एएजी
सुश्री माही यादव, एएजी
श्री जी.एस. गिल, एएजी श्री बी.एस. छावा,
एएजी श्री अविनाश चौधरी के साथ,
श्री राहुल गुप्ता,
श्री शुभेंदु पिलानिया एवं
श्री अनिकेत बेनीवाल

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

06/09/2024

प्रकाशनीय

1. चूंकि इन याचिकाओं में विधि और तथ्यों का सामान्य प्रश्न सम्मिलित है, इसलिए पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से इस स्तर पर सभी मामलों को अंतिम निपटान हेतु एक साथ लिया जाता है।
2. सभी याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन याचिकाओं को दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश मांगे गए हैं कि वे 1 जुलाई से 30 जून तक उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उन्हें वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करें और परिणामस्वरूप, उनके पेंशन लाभ को फिर से निर्धारित करें।
3. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि इन याचिकाओं से संबंधित विवाद का निपटारा इस न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं के एक समूह के माध्यम से पहले ही कर दिया गया है, जिनमें प्रमुख मामला एसबी सिविल रिट याचिका संख्या **21/2020** है, जिसका शीर्षक विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है, जिसका निर्णय 21.07.2023 को हुआ था। अधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार ने उक्त निर्णय को उच्च अपीलीय फोरम में चुनौती नहीं दी और राज्य सरकार ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया है। अतः, इन परिस्थितियों में, विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा विजय सिंह (सुप्रा) मामले में पारित निर्णय के आलोक में इन सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाए तथा इन रिट याचिकाओं पर भी समान निर्देश जारी किए जाएं।
4. यह तथ्य विवाद में नहीं है कि इन सभी याचिकाओं में शामिल विवाद पर इस न्यायालय द्वारा विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में पैरा 30 से 42 में निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, जो इस प्रकार है:-

"30. किसी कर्मचारी को वेतन और वेतन वृद्धि का भुगतान उसकी सेवाओं को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों द्वारा विनियमित होता है। ऐसे व्यक्तियों को पद के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है और वेतन एवं भत्ते भी पद से जुड़े होते हैं। इस प्रकार वेतन वृद्धि प्रगतिशील नियुक्ति का एक अभिन्न अंग है और जिस दिन से यह अर्जित होती है, उसके अगले दिन से अर्जित होती है।

31. यह प्रावधान करने का एक उद्देश्य है कि अर्जित वेतन वृद्धि उसके अगले दिन से अर्जित की जाए। वेतन वृद्धि का प्रदान किया जाना कोई स्वाभाविक बात नहीं है और यह सरकारी कर्मचारी के पूरे वर्ष के अच्छे आचरण पर निर्भर करता है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वेतन वृद्धि अर्जित होने से पहले पूरे वर्ष के लिए अच्छे आचरण का पालन किया जाना चाहिए।

32. यद्यपि वार्षिक वेतन वृद्धि पद से जुड़ी होती है और जिस दिन यह अर्जित होती है, उसके अगले दिन देय हो जाती है, लेकिन जिस दिन वेतन वृद्धि उपार्जित होती है या देय होती है, वह निर्णायक या निर्धारक नहीं होती। प्रगतिशील नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली वैधानिक योजना में, सरकारी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष में की गई सेवाओं के लिए वेतन वृद्धि देय होती है, बशर्ते उसका आचरण अच्छा हो। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन, निर्धारित वेतनमान में न्यूनतम से अधिकतम तक, आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा बढ़ता है। इसलिए, वेतन वृद्धि प्राप्त करने का

अधिकार तब स्पष्ट होता है जब सरकारी कर्मचारी अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर लेता है और अगले दिन वेतन वृद्धि देय हो जाती है।

33. कानून में यह स्थापित है कि जहां लाभ प्राप्त करने की पात्रता कानून में स्पष्ट हो जाती है, वहां उसे अस्वीकार करना मनमाना होगा जब तक कि इसके लिए कोई वैध कारण न हो। योजना से निकाले गए वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार करने का एकमात्र कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी उस दिन पद पर नहीं है जिस दिन वेतन वृद्धि देय होती है। यह वेतन वृद्धि से इनकार करने का वैध आधार नहीं हो सकता क्योंकि वेतन वृद्धि अर्जित करने की तारीख के बाद वाले दिन का उद्देश्य केवल अच्छे आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी करना सुनिश्चित करना होता है और इसके लिए कोई अन्य उद्देश्य नहीं निकाला जा सकता है। वेतन वृद्धि अर्जित करने के बाद वाले दिन की अवधारणा का अन्यथा कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसके अलावा, पात्रता की तारीख के बाद वाले दिन को निर्धारित करने में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है और न ही इससे कोई उद्देश्य प्राप्त होता है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी ने पहले ही एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वेतन वृद्धि अर्जित की गई है बशर्ते उसका आचरण अच्छा रहा हो। इस प्रकार, यह पूरी तरह से मनमाना होगा यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके अच्छे आचरण के आधार पर एक वर्ष में अर्जित वेतन वृद्धि केवल ऊपर बताए गए कारण से अस्वीकार कर दी जाए। वर्तमान मामले में वेतन वृद्धि भुगतान की योजना को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और 2008 के नियम 14 और 2017 के नियम 13 के क्रमशः एक भाग को अलग-थलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि दूसरे भाग को निष्फल न किया जा सके, खासकर जब दूसरा भाग सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रगतिशील नियुक्ति की योजना अक्षुण्ण बनी रहे और सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित अधिकार सुरक्षित रहें और किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण उन्हें अस्वीकार न किया जाए।

34. पी. अय्यम्परुमल (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार जब कर्मचारियों ने 30 जून तक एक पूर्ण वर्ष की सेवा पूरी कर ली, तो एक वर्ष की पूरी की गई सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि का लाभ अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। पी. अय्यम्परुमल (सुप्रा) का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम हो गया है। इसके बाद, इस निर्णय का अनुसरण दिल्ली उच्च न्यायालय ने गोपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीपी पांडे बनाम यूपी राज्य के मामले में (2021) आईएलआर 1 ऑल. 882 में रिपोर्ट किया और नंदविजय सिंह (सुप्रा) के मामले में किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (सुप्रा) और सीपीमुंडिनमणि (सुप्रा) के मामले में सभी उच्च न्यायालयों के लगभग हर निर्णय पर विचार किया है।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोनों मामलों पर मुहर लगाकर इन याचिकाओं से जुड़े विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। अतः, अंतिमता के सिद्धांत को सख्त कानूनी अर्थों में लागू किया जाना चाहिए। न्यायिक मर्यादा और शिष्टाचार की मांग है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू किया जाए।

36. विधि के शासन द्वारा शासित देश में, किसी निर्णय की अंतिमता अत्यंत आवश्यक है और पक्षकारों के लिए न्यायालय के समाप्त निर्णयों को पुनः खोलना उचित नहीं है। यह 'स्टारे डेसिसिस' के सिद्धांत को भी निष्प्रभावी कर देगा, जो कि एक सुस्थापित और मूल्यवान पूर्वसिद्धांत है और जिससे तब तक विचलित नहीं

हुआ जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण न हों। किसी देश के न्यायालय और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और न ही लिया जाना चाहिए।

37. न्यायिक निर्णय की पहचान उसकी स्थिरता और अंतिमता है। न्यायिक फैसले रेत के टीलों की तरह नहीं होते जो हवा और मौसम के प्रभाव में रहते हैं।

38. इस प्रकार, पक्षकारों के लिए समाप्त निर्णयों को पुनः खोलना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह न केवल कानून और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा बल्कि न्याय प्रशासन पर भी इसका दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

39. जब अन्य राज्यों में कानून की स्थिति लगभग हर जगह एक समान है और जब याचिकाकर्ताओं जैसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को ऐसे लाभों से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

40. चूंकि सफी मोहम्मद (सुप्रा) के निर्णय के समय और सफी मोहम्मद (सुप्रा) के मामले के निर्णय के बाद, विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय इस न्यायालय की खंडपीठ के संज्ञान में नहीं लाए गए थे, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीपी मुंडिनमणि (सुप्रा) और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (सुप्रा) के मामले में याचिकाकर्ताओं जैसे कर्मचारियों के पक्ष में दो निर्णय दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि ये कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के दिन यानी 30 जून को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार होंगे। अतः, बदली हुई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता भी समान लाभों के हकदार हैं।

41. अतः, सी.पी. मुंदिनामणि (सुप्रा) और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को देखते हुए, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित अवधि अर्थात् एक वर्ष तक अपने आचरण के आधार पर 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता 30 जून को अपनी सेवानिवृत्ति के बावजूद, 1 जुलाई को अनुमानित भुगतान पाने के हकदार होंगे।

42. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार करें और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करें। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं की पेंशन पुनर्निर्धारित की जाएगी। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उचित आदेश जारी किए जाएँ और याचिकाकर्ताओं को पेंशन की बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

5. इस न्यायालय ने पाया है कि विजय सिंह (सुप्रा) मामले में पहले इन याचिकाओं में शामिल मुद्दे के निपटारे के बाद, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा हजारों समान याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें समान आदेश की मांग की गई है और विजय सिंह (सुप्रा) मामले में पारित आदेशों/निर्देशों के आलोक में उनकी याचिकाओं के निपटारे की भी मांग की गई है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि बजट भाषण में घोषणा करने से पहले, सरकार विजय सिंह (सुप्रा) के निर्णय को 'व्यक्तिगत रूप से' मान रही थी और उसे 'विवेकाधीन' निर्णय नहीं माना गया। प्रतिवादी-सरकार की इस कार्रवाई ने सभी पीड़ित व्यक्तियों के लिए बार-बार इसी आदेश की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खोल दिया है।

7. एक बार, इस न्यायालय द्वारा विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्णय पारित कर दिया गया है और सरकार द्वारा इसे किसी भी अपीलीय फोरम के समक्ष चुनौती न देकर स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में जारी निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य हैं।

8. तत्पश्चात, इस न्यायालय के विचारार्थ एक प्रश्न आया कि "क्या विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान स्थिति वाले व्यक्तियों को जो लाभ दिए गए हैं, वे वर्तमान याचिकाकर्ताओं को दिए जा सकते हैं तथा उन व्यक्तियों को भी दिए जा सकते हैं, जिन्होंने कोई याचिका दायर करके इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है।"

9. उपरोक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, इस न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या **10939/2024** में रमेश चंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के प्रमुख मामले के साथ रिट याचिकाओं का एक समूह तय किया है और इसे 15.07.2024 को पैरा 16 से 19 में निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निपटाया गया था जो इस प्रकार हैं: -

"16. कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि जब न्यायालय द्वारा कोई निर्णय सुनाया जाता है, जो बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उक्त निर्णय को सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देने के इरादे से एक 'इन रेम' निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए, चाहे वे इस न्यायालय में आए हों या नहीं। इस तरह के फैसले के साथ, अधिकारियों पर यह दायित्व आ जाता है कि वे स्वयं सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को इसका लाभ प्रदान करें। विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अब से "इन रेम" निर्णय माना जा सकता है, न कि "इन पर्सोनाम"। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी लाभ सभी समान स्थिति वाले पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान करें, बिना उन्हें समान आदेश प्राप्त करने के लिए बार-बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किए।

17. इस प्रयोजन हेतु, याचिकाकर्ता और इसी श्रेणी के सभी व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण हेतु उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करके अपने-अपने विभाग के सचिव या प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं। सचिव और संबंधित विभाग के प्रमुख से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले पर विचार करें और विजय सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में उचित निर्णय लेने के लिए उसे वित्त विभाग को भेजें।

18. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी सचिव या विभागाध्यक्ष को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस पर तुरंत विचार करें और यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, उस पर निर्णय लें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जानबूझकर कोई अवज्ञा की जाती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और इसके लिए उत्तरदायी संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी।

19. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना

चाहिए और वे सीधे संबंधित विभाग से अभ्यावेदन दाखिल कर सकते हैं और विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में निर्णय लें।

10. चूंकि इन याचिकाओं में शामिल विवाद को इस न्यायालय द्वारा विजय सिंह (सुप्रा) और रमेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) के मामले में दो बार सुलझाया जा चुका है, और रमेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) के मामले में यह विशेष रूप से माना गया है कि "जिन व्यक्तियों ने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए और वे सीधे प्रतिनिधित्व दायर करने के माध्यम से संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं और विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में निर्णय ले।"

11. के.आई. शेफर्ड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1987 (4) एससीसी 431 में दर्ज मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जो कर्मचारी न्यायालय में नहीं आए थे, उन्हें मुकदमा न लड़ने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए और वे उस मामले के याचिकाकर्ताओं के समान लाभों के हकदार होंगे। यह भी माना गया है कि जिन बहिष्कृत कर्मचारियों ने न्यायालय का रुख नहीं किया था, वे भी उन्हीं लाभों के हकदार होंगे, जिनके हकदार उस मामले के याचिकाकर्ता उस मामले के फैसले के तहत थे।

12. के.आई. शेफर्ड (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक नहीं है, तथा प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सभी समान मामलों में संपन्न निर्णय का लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को राहत प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए बाध्य किए बिना प्रदान करे, केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होगा:

क) जहां आदेश सभी समान स्थिति वाले कर्मचारियों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में दायर याचिका में किया जाता है;

(ख) जहां न्यायालय द्वारा दी गई राहत एक घोषणात्मक राहत है जो किसी विशेष श्रेणी के सभी कर्मचारियों पर लागू होने के लिए अभिप्रेत है, चाहे वे मुकदमे में पक्षकार हों या नहीं;

(ग) जहां कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होने वाले किसी आदेश या नियम को बिना किसी शर्त या आरक्षण के रद्द कर दिया जाता है कि राहत न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है; और

(घ) जहां न्यायालय स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि दी गई राहत उन लोगों तक भी विस्तारित की जानी चाहिए जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

13. एक ही समान वाद हेतु और एक ही शिकायत के निवारण हेतु वादियों द्वारा बार-बार दायर की गई याचिकाएँ, प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं, जबकि न्यायालय द्वारा पहले ही सभी के पक्ष में सामान्य निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें सरकारी प्राधिकारियों को सभी पीड़ित व्यक्तियों को समान लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे उन्हीं प्रार्थनाओं के साथ समान याचिकाएँ दायर करके पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँ।

14. न्यायिक आदेश की पवित्रता को गंभीरता से नष्ट किया जाना आवश्यक है और प्रक्रिया के दुरुपयोग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना आवश्यक है। ऐसे वादियों द्वारा अन्य वादियों का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए, और समान स्थिति वाले वादियों को न्यायिक उदारता का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

15. न्यायालय अनेक प्रकार के मुकदमों से अटे पड़े हैं। एक जैसी, बार-बार, एक जैसी और निराधार याचिकाएँ दायर करना न्याय प्रशासन के लिए एक गंभीर खतरा है। ये समय की बर्बादी करते हैं और बुनियादी ढाँचे को अवरुद्ध करते हैं। उत्पादक संसाधन, जिनका उपयोग वास्तविक मामलों के निपटारे में किया जाना चाहिए, केवल उसी तरह की राहत पाने के लिए दायर किए गए मामलों में ही नष्ट हो जाते हैं, जो पहले ही रेम निर्णय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। निरर्थक कारणों से ऐसी समान याचिकाएँ दायर करना विधि प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और न्यायालय के बहुमूल्य समय की बर्बादी है।

15.1 दुर्भाग्य से, जैसा कि समान और एकसमान रिट याचिकाओं का यह समूह उदाहरण प्रस्तुत करता है, न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का बेईमान लोगों द्वारा वैध न्याय को हानि पहुँचाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। याचिकाओं का यह समूह इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक निर्णीत मुद्दे ने न्यायालय का समय लिया है और कैसे लगातार समान याचिकाएँ अनावश्यक रूप से दायर की जा रही हैं ताकि उन अन्य वादियों का समय बर्बाद हो जो अपने मामलों की सुनवाई और निपटारे का इंतज़ार कर रहे हैं।

15.2 ऐसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 (5) एससीसी 496 में रिपोर्ट किए गए दन्यादेओ सबाजी नाइक और अन्य बनाम प्रजा प्रकाश खांडेकर और अन्य के मामले में पैरा 13 और 14 में निम्नानुसार माना है:

"13. इस न्यायालय को किसी भी वादी द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास को प्रतिकूल दृष्टि से देखना चाहिए। यदि ऐसे प्रयासों से दृढ़ता से निपटा नहीं गया तो न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता गंभीर रूप से नष्ट हो जाएगी। जो वादी सत्य या न्यायालय की प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे आगे आने वाले परिणामों के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अन्य लोगों को न्यायिक उदारता की आशा या गलत उम्मीद में उसी रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमेबाजी में, जैसा कि हमारे देश में प्रचलित कानून में है, सत्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, अनुकरणीय लागत अपरिहार्य, और यहाँ तक कि आवश्यक भी है।

14. समूची न्याय व्यवस्था में न्यायालय - यह न्यायालय भी अपवाद नहीं है - मुकदमों से अटे पड़े हैं। तुच्छ और निराधार मुकदमे न्याय प्रशासन के लिए एक गंभीर खतरा हैं। ये समय की बर्बादी करते हैं और बुनियादी ढाँचे को अवरुद्ध करते हैं। उत्पादक संसाधन, जिनका उपयोग वास्तविक मामलों के निपटारे में किया जाना चाहिए, केवल विलंब से लाभ उठाने के लिए दायर किए गए मामलों पर ध्यान देने में, मृत मुद्दों को लंबा खींचने और निरर्थक मामलों को आगे बढ़ाने में बर्बाद हो रहे हैं। किसी भी वादी का विलंब में निहित स्वार्थ नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से, जैसा कि वर्तमान मामला उदाहरण प्रस्तुत करता है, न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का बेईमान लोगों द्वारा वैध मामलों को नुकसान पहुँचाने के लिए

दुरुपयोग किया जाता है। वर्तमान मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण मुद्दे ने अदालतों का समय लिया है और कैसे अपरिहार्य को लंबा खींचने के लिए लगातार आवेदन दायर किए गए हैं। जिस व्यक्ति के पक्ष में न्याय का संतुलन है, उसे एक पुराने मुद्दे को पुनर्जीवित करने के बार-बार प्रयासों के कारण इस प्रक्रिया में अधर में छोड़ दिया गया है। इस प्रवृत्ति पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब समूची व्यवस्था में न्यायालय एक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएँ जो इस तरह के व्यवहार को दंडित करे। न्याय तक उदार पहुँच का अर्थ अराजकता और अनुशासनहीनता की पहुँच नहीं है। एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि न्यायिक अदालतों को कानून की देरी से लाभ उठाने के लिए बनाई गई मुकदमेबाजी की रणनीतियों से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। जब तक सभी अदालतें तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक हमारा समाज अनुपालन के बजाय टालमटोल पर आधारित कानूनी संस्कृति को जन्म देगा। ऐसी स्थितियों से सख्ती से निपटना प्रत्येक अदालत का कर्तव्य है। अनुकरणीय लागत लगाना एक आवश्यक साधन है जिसका उपयोग तुच्छ मामलों को कम करने और उन्हें दायर होने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए। तभी अदालतें वास्तविक मामलों के समाधान के लिए समय निकाल पाएंगी और न्याय की आवश्यकता वाले लोगों की चिंताओं का समाधान कर पाएंगी। वास्तविक शिकायतों वाले नागरिकों के लिए अदालतों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय पर लागत लगाना भी आवश्यक है। अन्यथा, केवल अनुचित मामलों के बोझ तले दबे होने से वैध मामलों के लिए दरवाजे बंद हो जाएँगे जो व्यवस्था में व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति को आने नहीं दिया जा सकता। इसलिए यह केवल विवेकाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि सभी न्यायालयों का कर्तव्य और दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि न्याय व्यवस्था का उन लोगों द्वारा शोषण न किया जाए जो न्याय को विफल करने या विलंबित करने के लिए कानून के रूपों का उपयोग करते हैं। हम सभी न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे तुच्छ दाखिलों से इसी तरह निपटें।"

16. रमेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) के मामले में विशिष्ट निर्देश पारित करने के बावजूद, कि याचिकाकर्ताओं जैसी समान स्थिति वाले किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे एक ही राहत के संबंध में बार-बार समान याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, जो उन्हें पहले ही संबंधित विभाग से अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करके दी जा चुकी है और उनके अभ्यावेदन पर संबंधित विभाग द्वारा विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, फिर भी, याचिकाकर्ताओं ने इन दर्जनों याचिकाओं को दायर करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसने न केवल बाढ़ के द्वार खोल दिए हैं, बल्कि अनावश्यक रूप से इस न्यायालय पर बार-बार एक ही आदेश पारित करने का बोझ भी बढ़ा दिया है, जो वास्तव में बार-बार पारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय को रमेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) के मामले में एक रेम निर्णय के रूप में बनाया गया है।

17. याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से अन्य वादियों का समय बर्बाद कर रहे हैं जो काफी समय से अपने मामलों के निपटान के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं।

18. अतः इन परिस्थितियों में, इन अनावश्यक, अनुचित समान और एक जैसी याचिकाओं को दायर करके अन्य वादियों का समय बर्बाद करने के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 1000/- रुपये की प्रतीकात्मक राशि का जुर्माना लगाया जाता है।

19. प्रत्येक याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के वादी कल्याण कोष में 1,000/- रुपये की लागत राशि जमा करें। यदि वे उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर लागत राशि अर्थात् 1000/- रुपये जमा कर देते हैं और संबंधित विभाग के समक्ष अभ्यावेदन के साथ उसकी रसीद प्रस्तुत करते हैं, तो संबंधित विभाग (प्रतिवादी) इस न्यायालय द्वारा विजय सिंह (सुप्रा) और रमेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय के आलोक में, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रति और 1000/- रुपये की लागत राशि जमा करने की रसीद सहित अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर, इस पर निर्णय लेगा। प्रतिवादियों और संबंधित विभागों द्वारा इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना मानी जाएगी और इसे गंभीरता से लिया जाएगा यदि याचिकाकर्ताओं जैसे समान स्थिति वाले व्यक्तियों को उसी कारण और अपनी उसी शिकायत के निवारण के लिए फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जाता है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दन्यांदेओ सबाजी नाइक (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, ऐसे मामलों में जुर्माना लगाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक शिकायतों वाले नागरिकों को न्यायालयों द्वारा न्याय प्राप्त हो सके। अन्यथा, व्यवस्था में अनावश्यक मामलों की बाढ़ के कारण न्याय के द्वार वैध कारणों के लिए बंद हो जाएंगे। सभी न्यायालयों का यह कर्तव्य और दायित्व है कि न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को विफल करने या उसमें देरी करने के लिए विधिक व्यवस्था का अनावश्यक रूप से दोहन न होने दिया जाए।

21. सभी याचिकाकर्ताओं पर 1000/- रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाने का उद्देश्य उन्हें न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ डालने और लंबित मामलों की संख्या बढ़ाने से रोकना है। एक बार जब इन याचिकाओं से संबंधित मुद्दे का निर्णय उनके पक्ष में हो जाता है और उन्हें संबंधित विभाग से संपर्क करने की स्वतंत्रता मिल जाती है, तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने अभ्यावेदन पर निर्णय लिए बिना इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँ। प्रत्येक मुकदमे का किसी न किसी समय अंत होना ही है और वादियों की विलासिता के लिए एक जैसे और एक जैसे मुकदमे बार-बार पनपने नहीं दिए जा सकते, जो अनावश्यक रूप से एक जैसे आदेश की मांग करके इस न्यायालय पर बोझ डाल रहे हैं।

22. जुर्माना लगाने का आदेश उन याचिकाओं पर लागू नहीं होगा जो रमेश चंद्र शर्मा (सुप्रा) मामले के फैसले से पहले दायर की गई हैं यानी 15.07.2024 से पहले दायर की गई याचिकाएं।

23. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, इन सभी याचिकाओं के साथ-साथ स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हों) का निपटारा किया जाता है।

24. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध फाइल में अलग से रखे।

25. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उनके अभ्यावेदन पर प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है या तीन महीने की अवधि के भीतर उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो याचिकाकर्ता और सभी समान स्थिति वाले व्यक्ति इस न्यायालय में आने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(अनूप कुमार ढांड),जे

कू डी/244 से 338 (259,296 और 333 को ठीक),10,28,30 और सी-1

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी